भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3342**
**28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए**

**घरेलू इस्पात मूल्य का स्थिरीकरण**

**3342 श्रीमती रंजीत रंजन:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैश्विक उतार-चढ़ाव और व्यापार प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया स्वरूप घरेलू इस्पात की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) इस्पात उत्पादन, मूल्य निर्धारण और निर्यात पर हाल के नीतिगत हस्तक्षेपों का क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या इस्पात की बढ़ती कीमतों से प्रभावित लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की सहायता के लिए राहत उपाय की कोई योजना बनाई जा रही है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात की कीमतें बाजार शक्तियों की मांग-आपूर्ति संबंधी गतिशीलताओं, वैश्विक बाजार परिस्थितियों, कच्चे माल की कीमत संबंधी रूझानों, लॉजिस्टिक लागत, विद्युत और ईंधन लागत आदि द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सरकार देश में लघु और मध्यम उत्पादकों सहित इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

सरकार ने वैश्विक उतार-चढ़ावों और व्यापार प्रतिबंध के मुद्दों का समाधान करने और स्वदेशी इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) वर्तमान में कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, लोहे के पाइप और खोखले प्रोफाइल, मिश्रधातु, या गैर-मिश्रधातु इस्पात (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के अलावा) (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड इस्पात (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम और थाईलैंड से) से संबंधित पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) उपाय किए गए हैं।

(ii) चीन और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

(iii) केंद्रीय बजट 2024-25 में, स्वदेशी विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने और स्वदेशी इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे:-

जारी.....2/

क. फेरो-निकेल तथा मोलिब्डेनम अयस्कों और कंसंट्रेट्स, जो इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री हैं, पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ख. फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट को 31.03.2026 तक जारी रखा गया है।

ग. कोल्ड रॉल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर छूट को 31.03.2026 तक जारी रखा गया है।

(iv) देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू किया गया।

(v) उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू करके घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाना।

देश में इस्पात उत्पादन में वृद्धि हो रही है और वर्ष 2023-24 में देश में 144.3 मिलियन टन क्रूड इस्पात का उत्पादन किया गया। सरकार ने स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति के कार्यान्वयन और पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैकेण्डरी स्टील (एनआईएसएसटी) की स्थापना करके लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित इस्पात क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कदम उठाए हैं।

*****